राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

क्रमांक/कोर्ट/2025/131 दिनांक 21-08-2025

प्रेषित :-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदया,
सिरोही।

विषय :- पत्रावली अन्य न्यायालय को हस्तान्तरण बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण संख्या 83/2011 अनवान मूला बनाम लाला धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(समेकित पत्रावली संख्या 88/2011 अनवान लाला बनाम मूला धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) में उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 सक्षम प्राधिकारी, आबूपर्वत है जो स्वयं इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी है एवं उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष भी मांगा गया है। ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद की सुनवाई स्वयं द्वारा किया जाना संभव नही है।

श्रीमान निम्न प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी, आबूपर्वत को पक्षकार बनाया गया है। जो स्वयं पीठासीन अधिकारी ही है। ऐसी स्थिति मे पीठासीन अधिकारी स्वयं हितबद्ध पक्षकार होने से यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है।

अतः निम्न मूल प्रकरण की पत्रावली अन्य न्यायालय को हस्तांतरण हेतु श्रीमानजी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. स.	वाद संख्या	अन्तर्गत धारा	अनवान	आदेशिका संख्या	पृष्ठ संख्या
1	83/2011 (समेकित वाद 88/2011)	88,188 राज. काश्तकारी अधि. 1955	मूला बनाम लाला (समेकित वाद का अनवान लाला बनाम मूला)	1 से 48	1 से 226

संलग्न – उपरोक्तानुसार दो मूल पत्रावलियां

भवदीया
Anshu
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:19:22 IST
Reason: SelfAttested